तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29-8-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5-9-19 को पेश हो।
5-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दि.[illegible] पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 140/2012

1. रामप्यारी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी 2 आई.डी.जी. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। (मृतक)
   1.1 इन्द्रादेवी पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी चक 17 एस.टी.जी. ढाणी तहसील हनुमानगढ़। – – प्रार्थीया

– :: बनाम ::–

1. मायादेवी पत्नी चानणराम जाति मेघवाल } निवासी डबलीबास चुगता तहसील
2. कुन्तादेवी पत्नी ममंगलाराम जाति मेघवाल } हनुमानगढ़।
3. सोनी पत्नी सोनिया जाति सांसी जाति बाजीगर निवासी डबलीबास चुगता तहसील हनुमानगढ़।
4. बाबुराम पुत्र मखत्यारसिंह जाति बाजीगर निवासी गांव पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ । – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. बाबत रास्ता

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री शिवशंकर व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री खुशप्रीतसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 05.09.2019

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 251 (क) आर.टी.ए.प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीया के नाम चक 17 एस.टी.जी. के खाता संख्या 121/9 में पत्थर नम्बर 73/293 (14) किला नम्बर 6 ता 20, 23, 24, 25 पत्थर नम्बर 73/294 (22) किला नम्बर 3, 4, 5 कुल 5.313 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी वाके चक 17 एस.टी.जी. खाता संख्या 121/9 सम्वत् 2066–2069 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में आनें जाने हेतु पत्थर नम्बर 72/292 किला नम्बर 23 में रेलवे फाटक से होकर किला नम्बर 16 व 25 में से आगे मन्जूर शुद्धा रास्ता से अपनें खेत में हमेशा से आवागमन करती रही है। तथा खेत में मेरी ढ़ाणी बनी हुई है। किला नम्बर 16 व 25 अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि है। परन्तु किला नम्बर 16 व 25 में रास्ता मन्जुर ना होनें के कारण रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रहे है। रास्ता आज भी मौका पर चालु है। प्रार्थीया चक 14 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 72/292 किला नम्बर 16 व 25 में एक एक बिस्वा रास्ता मन्जुर करवाना चाहते है। प्रार्थीया रास्ता में आई भूमि के बदले मुआवजा देनें को तैयार है। नकल जमाबन्दी चक 17 एस.टी.जी. खाता संख्या 101/91 सम्वत् 2066 व 69 नजरी नक्शा हमराह पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर वाके चक 17 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 72/292 किला नम्बर 16 व 25 में एक एक बिस्वा रास्ता मन्जूर किये जानें का आदेश फरमाया जावे।

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तुत जबाब हेतु प्रर्याप्त अवसर लिये जाने पर भी जबाब पेश नही करने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जबाब दिनांक 10.07.2019 को बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 की तामिल विधिवत होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 10.07.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि पत्थर नम्बर 72/292 के किला नम्बर 23 मे रेलवे फाटक से होकर किला नम्बर 16 व 25 मे से आगे मन्जूर शुद्धा रास्ता से प्रार्थीया आवागमन करती है। कतई गल्त व मिथ्या है। यह बात सही है, कि किला नम्बर 16 व 25 अप्रार्थी के नाम से दर्ज है, परन्तु किला नम्बर 16 व 25 मे कोई रास्ता मन्जुर शुद्धा नहीं है। प्रार्थीया के खेत में जानें के लिये कमाना गांव से मन्जूर शुद्धा रास्ता आ रहा है। व खेत के अन्दर से निकलता है। व प्रार्थीया अपनें खेत में आने जाने में उसी रास्ते का उपयोग करती है। मन्जुर शुद्धा रास्ता गांव की आबादी से आकर सीधा प्रार्थीया के खेत तक आ रहा है।

प्रार्थीया के किला नम्बर 16 व 25 में रास्ता मन्जूर करनें हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया है। वह केवल अप्रार्थी को तंग पेरशान करनें व अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि को दो टूकड़ों में करनें की मशां से दिया है। ताकि अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सही उपयोग न कर सके। व अप्रार्थी को ना पुरा होनें वाला नुकसान हो जिससे वह अपनी कृषि भूमि प्रार्थीया को विक्रय कर दे।

अगर किसी की कृषि भूमि को एक मन्जूर शुद्धा रास्ता आनें जानें के लिये उपलब्ध है, तो किसी अन्य की कृषि भूमि में से रास्ता मन्जूर नहीं किया जा सकता इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया नें बिना किसी आधार पर कानून के प्रस्तुत किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया इन्द्रादेवी के खेत में जानें हेतु ग्रम कमाना की आबादी से पत्थर नम्बर 72/295 किला नम्बर 2, 3, पत्थर नम्बर 72/294 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24, 25 पत्थर नम्बर 72/295 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत शुद्धा चालु रास्ता मौके पर चल रहा है। उक्त रास्ते में पत्थर नम्बर 72/293 किला नम्बर 25 में रास्ता की भूमि में पश्चिम की तरफ सिंचाई पानी का खाला (जलमार्ग) बना हुआ है। तथा पत्थर नम्बर 72/294 किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में स्वीकृत शुद्धा रास्ता की भूमि में पूर्व की तरफ सिचाई पानी का खाला (जलमार्ग) बना हुआ है। रास्ता की भूमि मे जलमार्ग बना होनें के कारण रास्ते में चलनें की कठिनाई होती है।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा आर.आर.टी. 2017 पेज 980 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि पत्थर नम्बर 72/294 किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में स्वीकृत शुद्धा रास्ता की भूमि में पूर्व की तरफ सिचाई पानी का खाला (जलमार्ग) बना हुआ है। रास्ता की भूमि मे जलमार्ग बना होनें के कारण रास्ते में चलनें की कठिनाई होती है। पत्थर नम्बर 72/292 किला नम्बर 23 में रेलवे फाटक से होकर किला नम्बर 16 व 25 में से आगे मन्जूर शुद्धा रास्ता से अपनें खेत में हमेशा से आवागमन करती रही है। तथा खेत में मेरी ढ़ाणी बनी हुई है। अतः किला नम्बर 16 व 25 में एक एक बिस्वा रास्ता मन्जूर किये जानें का आदेश फरमाया जावे जिसका मुआवजा प्रार्थीया अदा करनें को तैयार है।

लगातार 3

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा आर.आर.टी. 2014, (1) पेज 41, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649, तथा डी.एन.जे. 2017 पेज 1 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के किला नम्बर 16 व 25 में रास्ता मन्जूर करनें हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया है। वह केवल अप्रार्थी को तंग पेरशान करनें व अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि को दो टूकडों में करनें की मशां से दिया है। ताकि अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सही उपयोग न कर सके। प्रार्थीया के खेत में जानें के लिये कमाना गांव से मन्जूर शुद्धा रास्ता आ रहा है। व खेत के अन्दर से निकलता है। व प्रार्थीया अपनें खेत में आनें जानें में उसी रास्ते का उपयोग करती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताविक तहसील रिपोर्ट पत्थर नम्बर 72/294 किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में स्वीकृत शुद्धा रास्ता की भूमि में पूर्व की तरफ सिचाई पानी का खाला (जलमार्ग) वना हुआ है। रास्ता की भूमि मे जलमार्ग वना होनें के कारण रास्ते में चलनें की कठिनाई होती है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि आवागमन हेतु रास्ते बाबत अप्रार्थी की भूमि चक 17 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 72/292 किला नम्बर 16 व 25 में एक एक बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थीया अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुआवजा राशी जमा होनें पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 16:13:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: